

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
(प्ररूप 2 क)
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोकसभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दे
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ
अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम
उसका डाक पता उसका
नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक
नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर
प्रविष्ट है।
मेरा नाम है जो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट
..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)
की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।
तारीख (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 12- पूर्णिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित
को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सत्यद शाह इकबाल आलम
पिता/माता/पति का नाम सत्यद शाह सफ़ि आलम
उसका डाक पता सं० सं० 17 ग्राम इटहरी पोस्ट कुँआरी गौला जामा/प्रखंड/
उन्मुंडल धामदहा जिला पूर्णिया (बिहार)

सत्यद शाह

उसका नाम 12- पूर्णिमा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की
 निर्वाचक नामावली के भाग (C1-धमदाहा वि०स० नि० त्रे० ग्राम इटहरी जंक् कुआरी
जोख बाज/प्रखंड/अधक/मनुमंडल धमदाहा जिला पूर्णिमा के
 संख्यांक भारत 100 क्रम सं० 71 (इकाई) पृष्ठ 38 का 5 पर अंकित है।
 में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	C1- धमदाहा	98	317	मोहम्मद आरिफ		5/4/14
2.	C1- धमदाहा	98	482	मो० सलीम		5/4/14
3.	C1- धमदाहा	98	487	मोहम्मद अमीन		5/4/14
4.	C1- धमदाहा	98	491	शैख फकदीन		5/4/14
5.	C1- धमदाहा	99	918	श्यामदेव मंडल		5/4/14
6.	C1- धमदाहा	99	1224	मनोज कुमार जायसवाल		5/4/14
7.	C1- धमदाहा	99	1248	जगतलाल राम		5/4/14
8.	C1- धमदाहा	99	1249	रुको देवी		5/4/14
9.	C1- धमदाहा	100	236	पंकज कुमार मंडल		5/4/14
10.	C1- धमदाहा	100	262	मिथिलेश कुंमंडल		5/4/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं० का० आ० 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 48 (अड़ताबिस) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे (ख)(i) या (ख)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में / दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख)(ii) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय श्रमकृतामंच पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)

और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) पतंगा (ii) टार्च

(iii) खतका पंखा है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो / राज्य के उस राज्य में के / (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित*** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में**** नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 05/04/2014

SHAM
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र * शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इसे पैरा को काट दीजिए।

***यदि न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें:- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश,
1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है, या

✓/नहीं

अधिसूचना सं० का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के
कारावास से दंडित किया गया है।

नहीं

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

शून्य

संख्यांक

शून्य

(ii) पुलिस थाना

Handwritten signature/initials in blue ink.

(धाने)

शून्य

जिला (जिले)

शून्य

राज्य

शून्य

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।

शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें

शून्य

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था।

शून्य

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

शून्य

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

शून्य

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां

शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

शून्य

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है

है

शून्य

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें)

शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)

शून्य

स्थान : पूर्णिया

तारीख: 05/04/2014

 A. SHAH
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

 A. SHAH

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 28

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 12:58PM (बजे) * अम्यर्षी/प्रस्थापक द्वारा
परिदत्त किया गया।

तारीख 05.04.2014

Alhamb
5.4.14
सहायक रिटर्निंग आफिसर/अधिकारी
12-पुणियां त्नाक सभा निर्वाचन क्षेत्र

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं
निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण).....

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए

S. S. S. S.



GOVT OF BIHAR
REGISTRATION & PROCEEDINGS
PURNEA SCORE PURNEA
COURT FEE
Authorization No. 2935

भारत
STAMP DUTY
00000
0000100
375234
INDIA
28-3-2014
JUDICIAL
BIHAR
File No. 4... 7349J

“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)

Affidavit No- 657/14



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 12- पूर्णिया संसदीय क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मे सत्यद झाह इकबाल आखम **पुत्र/पुत्री/पत्नी सध्यद झाह रफि आखम
आयु 58 वर्ष, जो ग्राम इटहरी मंस० 17 पोस्ट कुंआरी गोकुल
जिला/प्रखंड/क्षेत्र/अनुमंडल धमदाहा जिला पूर्णिया

(डाक का पता ... का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।



(* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 61- धमदाहा विधानसभा क्षेत्र विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से 100 (सौ) के क्रम सं 71 पर प्रविष्ट हूँ।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 8757777777 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Shah_jebal है।
(SHAH_198AL@HOTMAIL.COM)

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

SHAH
KEDAR PRA...
Public Information Office
...


क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं सचिनद शाह इन्कवाल् खात्म	HXFPA- 7412C	शून्य	शून्य
2.	पति/या पत्नी मुनिरा इन्कवाल् शाह	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 मु० साराह शाह (पुत्री)	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

शून्य

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। शून्य



(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यारे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

शून्य

ATTENDED
KEDAR PRASAD
Notary Public Dhule
File No. A/Not A

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त

शून्य

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।



यदि अभिसारी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: शून्य (नहीं)

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य (नहीं)

SHAMA

ATTESTED
KEDAR P. SINGH
Notary Public District of Himachal Pradesh
Jalandhar | No. [43/43] 724911 (Jalandhar)

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।


टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i) बैंक खातों में जमा के ब्यौरे	10,000/-	7000/-	5000/-	शून्य	शून्य
(ii) निवृत्त जमा, आवेधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा खातों (बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	रकम की शुरुआत 20000/- रकम की समाप्ति 20000/- अप्रैल 2023 में 7000/- निवृत्त व्यवसाय के लिए मुद्रापट्ट के लिए 20000/- आर.डी. में 20000/- A-10/10/2023- 20575/- 3000/- जमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(Handwritten signature)

ATTESTED
 KEDAR PRASAD SINGH
 Notary Public Dhanbad, Purvanchal
 Bihar - A | No | 43 | 11 | 7269 | 1 (Bihar)

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (सेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	होडा शाइन मोटर साइकिल 23 ति 2012 की क्रय की 62,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	चांदी की 3 रिंग 10 ग्राज 50000/-	5 सेट होने के 50 तोला वज्र 15 लाख	2 सेट होने के 20 तोला 6 लाख	शून्य	शून्य
	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावा/हित का मूल्य	तीन घोड़े 6 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समस्त कुल मूल्य आ स्थित आस्तियों के ब्यारे	6,89,000/-	15,70,000/-	6,05,000/-	शून्य	शून्य



संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याएं (संख्याएँ)	ग्राम इटहरी में कृषि भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	26 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) चार भागों में विभाजित	हां अभी बटवारा नहीं हुआ है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निवेश आदि के माध्यम से आश्रितों को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	एक करोड़ आठ लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लिमिटेड क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	ग्राम 52 हरी में आवासीय भवन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	एक एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लिमिटेड क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5000 वर्ग फुट की कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	विरासत में प्राप्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	एक करोड़ पचास लाख (1,54,00,000)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

चार प्रश्नों का हिसाब बटवारा यही हुआ है।

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को शोध्यों का शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णन से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्यों का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'SHAM' and other illegible marks.

	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलिता रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषक है

(ख) पति या पत्नी गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

रतल रतल एकतापत्रिका 1982 में उल्लेख अदीवा एच० ड०

स्वयं मुजफ्फरपुर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एअर इण्डिया

एअर इण्डिया हवाई मावेज मुम्बई 6 दिना 1996

एअर इण्डिया/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

SHARMA



ATTESTED
SHARMA
 KEDAR PRASAD SINGH
 Notary Public (Uttaranchal, P. No. 1000-4) Sec (43/11/7349) (Gubari)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं सत्यदे शाह इकबाल आलम				
2	डाक का पता	अपना 71 ग्राम इटहरी पोस्ट कुं आरीजोला				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	12- पूरिया बिहार पूरिया				
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय रूक्ता मंच पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	शून्य				
6	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत उठराया गया एक वर्ष से अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी सत्यदे शाह इकबाल आलम	AXF-PA 7412C	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी सुनिरा इकबाल शाह	शून्य	शून्य	शून्य		
(ग) आश्रित कुं सत्यदे शाह पुत्र	शून्य	शून्य	शून्य			
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	6,89,000/-	15,7000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	1,54,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



SHAH

I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वजित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	1,54,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं

शून्य

(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

प्रमाणपत्र उच्चर इंडिया, उच्चर इंडिया एटान्त मास्टर
मुम्बई 6 दि 1996

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारे दें।)



CHAM

NOTARY PUBLIC AUTHORIZED U/S-3(1) OF THE
 NOTARIES (ACT No-LIII OF 1951) (1951)
 OF THE ACT U/S-133 (PART I, CL. 1 - RO. EJURE
 CODE (ACT No V OF 1907, 193-27) OF THE
 CRIMINAL PROCEDURE CODE (ACT No-10F1973)
 & ALSO U/S-65 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की
 विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या
 नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित
 मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद
 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

04/04/2014 को सत्यापित किया गया।
 Kailash Singh

Witnessed by: Syed. Shah Iqbal Alam
 Who has identified by: Kailash Singh
 and solemnly affirmed
 and before me

NOTARY
 Kailash Singh

SHAH
 अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंट इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
 'मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं..... 8757777777

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है..... SHAH_IQBAL@HOTMAIL.COM
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

A SHAH